न्यायालय अंचल अधिकारी, डाड़ी हजारीबाग।

त्रुटिनिराकरण वाद संख्या– 05/2025–26

महेश महतो पिता रावण महतो

क्र० तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी

अभिलेख का अवलोकन किया गया। श्री महेश महतो पिता रावण महतो ग्राम–कनकी, पोस्ट–डाड़ी, जिला– हजारीबाग द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा– कनकी, खाता संख्या–89, प्लॉट संख्या 340, रकवा 0.14ए0 किस्म रैयती भूमि का ऑनलाईन रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राप्त आवेदन के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– कनकी, खाता संख्या–89, रकवा 0.14ए0 भूमि की जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ संख्या–136/VII पर अशोक महतो वगैरह के नाम से दर्ज है। रसीद 2014–15 तक दर्ज है। ऑनलाइन पंजी के पृष्ठ सं0 177/V पर जमाबंदी दर्ज है। ऑफलाईन पंजी II के जाँच के क्रम में पाया गया कि 177/V पर बिक्रेता मोहनी देवी पति तिलक साव के नाम से जमाबंदी दर्ज है जिसमें से कुल रकवा 14 डी0 आवेदक अशोक महतो के द्वारा क्रय कर लिया गया है। बिक्रेता का रकवा शुन्य हो गया है। ऑफलाईन एवं ऑनलाईन पंजी–II के पृष्ठ संख्या में अंतर पाया गया।

राजस्व उप निरीक्षक द्वारा पुनः प्रतिवेदन प्राप्त प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के मूल पंजी II के पृष्ठ सं0136/VII पर दर्ज जमाबंदी, जो उपर्युक्त है के आलोक में ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ सं0136/VII पर दर्ज जमाबंदी को स्थगित किया जा सकता है।

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक तथा महेश महतो पिता रावण महतो द्वारा समर्पित कागजातों का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि मूल पंजी II के पृष्ठ संख्या136/VII पर अशोक महतो वगैरह के नाम से दर्ज है परंतु ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ सं0177/V पर कायम हो गई है। उक्त के आलोक में ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ सं0177/V को स्थगित करते हुए मूल पंजी II के पृष्ठ संख्या136/VII पर ऑनलईन जमाबंदी कायम करने की......स्वीकृति......... दी जाती है। आदेश की प्रति राजस्व उपनिरीक्षक को हस्तगत कराये।

इसी आदेश के साथ अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

9.06.25

अंचल अधिकारी,
डाड़ी हजारीबाग।

9.06.25

अंचल अधिकारी,
डाड़ी हजारीबाग।

एक प्रति प्राप्त किया
10/06/25

Digitally signed by KAMAL KANT VERMA
Date: 2026.01.08 16:44:28 +05:30
Location: 10.65.179.243